महत्वपूर्ण

संख्या-2/2019/988/90-सं-1-2019-117सं/1998

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह-।।,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 11 दिसम्बर, 2019

विषयः विधान मण्डल सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के पूर्ण उत्तर समय से उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2506/सत्रह-सं-1-98-117सं/98, दिनांक 09 सितम्बर, 1998 का सन्दर्भ लें। उक्त शासनादेश द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि विधान मण्डल सत्र के दौरान विधान सभा/विधान परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये गये प्रकरणों इत्यादि पर जो जानकारी उपलब्ध करायी जाए उसकी तथ्यपरकता एवं गुणवत्ता पूर्णतः संशय रहित होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- विगत सत्रों में यह अनुभव किया गया है कि बहुधा उक्त आदेशों का सम्यक् रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा हे । **विधान मण्डल के वर्तमान सत्र (वर्ष 2019 का चतुर्थ सत्र) के उपवेशन दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से पुन: समवेत हो रहे हैं ।** अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 1998 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

जे0 पी0 सिंह-।।,
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2019/988(1)/90-सं-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
3- निजी सचिव, मा0 नेता सदन विधान परिषद् को मा0 नेता सदन के सूचनार्थ ।
4- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

कौशलेन्द्र यादव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।